न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड़ अधिकारी लूणी

पीठासीन अधिकारी पुखराज कांसोटिया– आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या 96/2013

वादीगण–

1– श्रीमती रूकमादेवी पत्नी स्व0 श्री केवलराम
2– हरिराम पटेल पुत्र स्व0 श्री केवलराम
3– स्व0 श्री धन्नाराम पटेल के फौत कायम–मुकाम
3/1 शान्तिदेवी पत्नी स्व0 श्री धन्नाराम
3/2 धापु पुत्री स्व0 श्री धन्नाराम
3/3 लक्ष्मी पुत्री स्व0 श्री धन्नाराम
3/4 पूजा पुत्री स्व0 श्री धन्नाराम
3/5 सोनू पुत्री स्व0 श्री धन्नाराम,
3/6 रामचन्द्र पुत्र स्व0 श्री धन्नाराम
4– हडमान राम पटेल पुत्र स्व0 केवलराम
सभी निवासी–नई आबादी, शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण–

1– स्व0 श्री वीरमाराम के फौत के कायम–मुकाम
1/1 रूपीदेवी पत्नि स्व0 श्री वीरमाराम
1/2 प्रेमाराम पुत्र स्व0 श्री वीरमाराम
1/3 मोतीकी पुत्री स्व0 श्री वीरमाराम
1/3 कमली देवी पुत्री स्व0 श्री वीरमाराम
1/4 मपलीदेवी पुत्री स्व0 श्री वीरमाराम
2– भल्लाराम पुत्र स्व0 श्री सोनाराम
3– हेमी पत्नी स्व0 श्री सोनाराम
जातियान पटैल निवासीगण– घरतार, शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर
4– पूनमाराम पुत्र स्व0 श्री मानाराम, जाति पटेल निवासी– नई आबादी शिकारपुरा, तहसील लूणी जिला जोधपुर
5– तहसीलदार, लूणी तहसील लूणी जिला जोधपुर

अधिवक्ता वादीगण – हरिसिंह कच्छवाह उपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 की ओर से ईश्वरसिंह उपस्थित
अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 4 प्रहलादसिंह उपस्थित

दावा अंतर्गत धारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 53,88,188

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

निर्णय

दिनाँक 24/7/2024

वादीगण द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया गया बाद सम्पूर्ण कार्यवाही पत्रावली निर्णय हेतु प्रस्तुत हुई वादग्रस्त भूमि का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है:–

1. उक्त भूमि स्व. मानाराम पुत्र सुरा जाति पटेल निवासी– शिकारपुरा तहसील लूणी, जिला जोधपुर की वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त की कुल 108 बीघा कृषि भूमि जो कि ग्राम शिकारपुरा जिला जोधपुर में स्थित है तथा जो छः खसरों में विभाजित है व छः खसरे निम्न प्रकार है:–

   खसरा नं0 59 रकबा 12 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं0 76 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं0 121 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं0 135 रकबा 27 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नं0 146 रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 151 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा, कुल रकबा 107 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांसी

2– उक्त भूमि स्व0 मानाराम सेटलमेंट के वक्त से यानि वर्ष 1955 से उपरोक्त उल्लेखित छः खसरों की कुल 107 बीघा 5 बिस्वा 4 बिस्वांसी कृषि भूमि के एक मात्र काश्तकार थे।

3– प्रतिवादी सं0 1, 2 व 3 क्रमशः स्व0 वगताराम के पौत्र पडपौत्र व पौधवधु है जबकि वादीगण संख्या–1 खातेदार स्व0 श्री मानाराम की पुत्रवधु है व वादीगण संख्या 2 से 4 खातेदार स्व0 श्री मानाराम के पौत्र है तथा प्रतिवादी संख्या 4 पुनमाराम खातेदार स्व0 श्री मानाराम का पुत्र है अर्थात् मानाराम के जायज वारिसान में केवल मात्र वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 4 ही जीवित है।

4– प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 स्व0 श्री मानाराम की पत्नी स्व0 श्रीमती भिखी के पूर्व पति स्व0 श्री वगताराम के वारिसान है। स्व0 भीखी से मानाराम

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

का विवाह उसके पूर्व पति स्व0 श्री वगताराम के देहान्त के उपरान्त नाता विवाह के रूप में हुआ था तथा स्व0 श्री भीखी का देहान्त स्व0 श्री मानाराम की मृत्यु अर्थात संवत 2034 से करीब पन्द्रह सोलह वर्ष पूर्व हो चुका था। सुविधा की दृष्टि से वादीगण व प्रतिवादीगण के वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:–

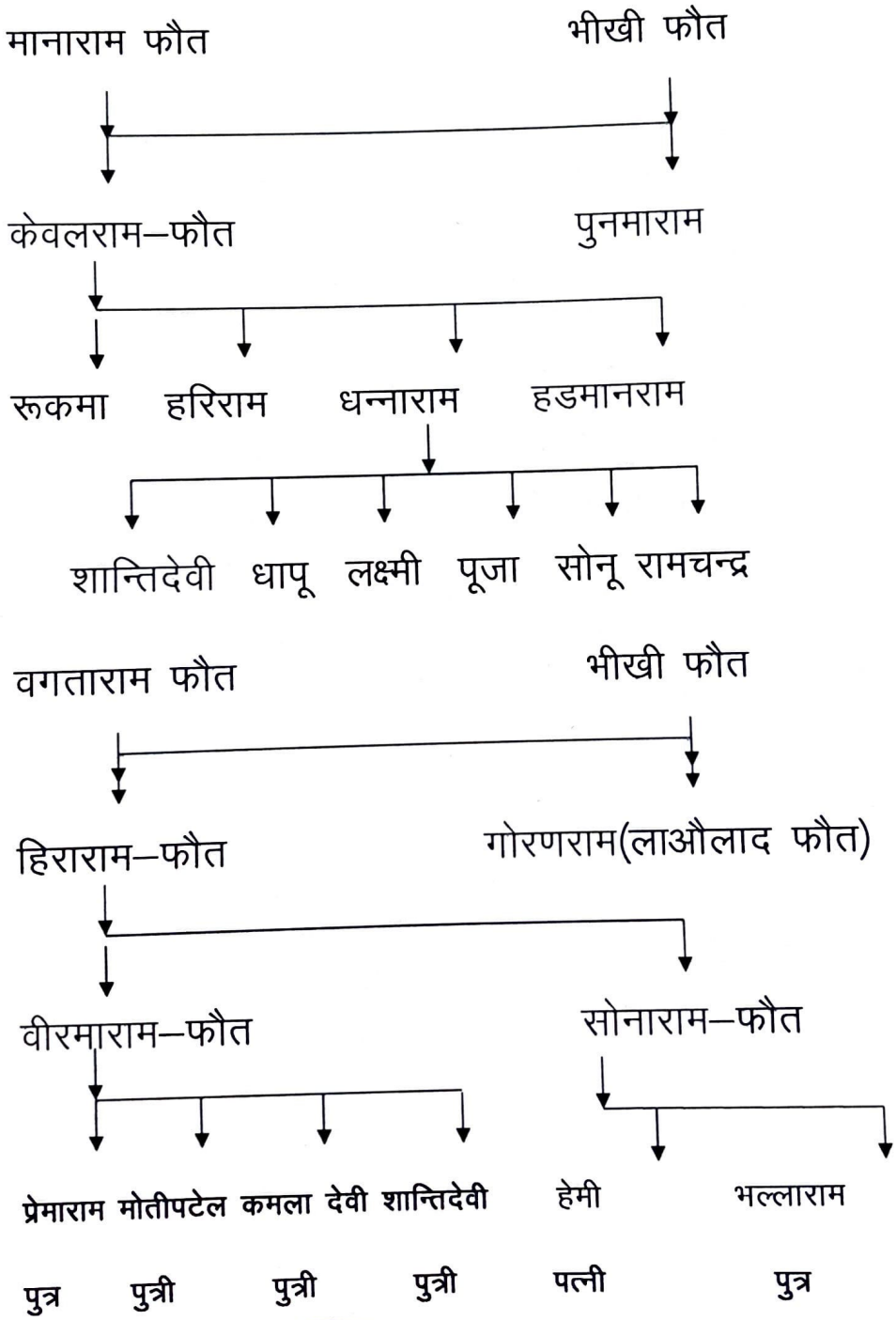

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

विरासत प्रतिवादी सं0 1 से 3 के नाम दर्ज हिस्से को यथावत रखने एवम् प्राप्त करने के अधिकारी है।

यह है कि तनकी संख्या 10 का मूल आधार 4–7–1974 का इन्द्राज है इसका उपर उल्लेख किया जा चुका है फिर भी यहा उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि स्व0 हीरा, स्व0 गोरण, व स्व0 केवल एवम् प्रतिवादी सं0 4 पूनमा स्वयं द्वारा खसरा संख्या 76 रकबा 6 बीधा 10 बिस्वा भूमि का बैचाननामा निष्पादित किया गया तथा चारों द्वारा अपना अपना हिस्सा संयुक्त रूप से बेचान किया गया इसका अर्थ यह है कि जब अपना संयुक्त हिस्सा मानकर बैचान कर दिया तो बेचाननामा के अस्तित्व मे रहते उसे खारिज या निरस्त नही किया जा सकता है अतः जो हिस्सा स्वयं द्वारा बेचान किया गया उसका वापस अपने नाम खातेदारी वादीगण किस आधार पर प्राप्त कर सकते है। इस कारण उक्त खसरे की खातेदारी वादीगण अपने नाम से करवाने के अधिकारी नही है। यह तनकी भी प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

यह है कि गोरण लाऔलाद फौत हो जाने से उसके द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज करवा दी गई उसमें अगर प्रतिवादी सं0 2 व 3 को आपत्ति नही है तो उक्त प्रतिवादी सं0 1 गोरण का गोद पुत्र ही रहेगा व माना जावेगा साथ ही वादीगण का वाद व काउन्टर क्लेम इस बात के लिए नही है कि गोरण लाओलाद फौत हुआ ओर उसकी जायदाद अन्य सभी को जायेगी। ऐसी स्थिति में गोरण की खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज है, को उचित मानते हुए उक्त तनकी प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष मे निर्णित की जाती है।

यह है कि तनकी संख्या 12 व 13 कानूनी होने से उस पर ज्यादा टीका–टिप्पणी करना उचित नही मानते है साथ ही यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि आवश्यक न्याय शुल्क के आधार पर वाद की पृष्ठभूमि एवम् निर्णय परिवर्तित नही होने तथा न्यायहित में रिलीफ दिया जाना उचित

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

ठहराते है। उक्त तनकीवार वाद का निस्तारण करते हुए वाद वादीगण खारिज किये जाने योग्य होने से निम्न प्रकार निर्णित किया जाता है।

अतः वादीगण तनकी सं0 1 से 4 तक साबित करने मे असफल रहने व प्रतिवादी सं0 4 तनकी संख्या 7 व 8 को अपने काउन्टर क्लेम से साबित करने में असफल रहने से उक्त तनकियात वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 4 के खिलाफ निर्णित की जाती है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 एवं उसके कायम मुकाम अपने जवाबदावे बहस एवम् बयानों एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर तनकी संख्या 5 व 6 तथा 9 से 12 तक को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहने से उक्त तनकियात प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 व उसके कायम मुकाम के पक्ष में निर्णित किये जाने से वाद वादीगण एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी सं0 4 दोनों खारिज किये जाते है एवं दिनांक 19–4–1956 को किये गये खातेदारी इन्द्राज के अनुसार उभय पक्ष द्वारा दिनांक 4–12–1978 को बंटवाडा के आधार पर दर्ज खातेदारी इन्द्राज की प्रविष्टि को विधि सम्मत मानते हुए यथावत रखी जाती है। पूर्व से वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दर्ज खातेदारी को यथावत रखा जाता है।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी

निर्णय आज दिनांक 24/7/2024 खुले न्यायालय में सरे आम सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर लूणी